

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर
पीठासीन अधिकारी – संजय शर्मा

G.C.M.S. No. 2022/1

प्रार्थना पत्र संख्या 14/2022

तारीख रजू 03.03.2022

1. सरकार जरिये तहसीलदार (लैण्ड होल्डर) मलारना डूंगर

.....प्रार्थी

बनाम

1. पागली पत्नि हरिराम मीना निवासी ग्राम पीलवानदी तहसील मलारना डूंगर।
2. हरिराम पुत्र फैलू मीना निवासी ग्राम पीलवानदी तहसील मलारना डूंगर।

.....अप्रार्थीगण

निर्णय

दिनांक 16.01.2026

यह प्रार्थना पत्र 14 (4) तहसीलदार मलारना डूंगर द्वारा आवंटन सलाहकार समिति द्वारा पारित आवंटन आदेश दिनांक 26.05.2000 के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया जिसके द्वारा अप्रार्थीगण पागली पत्नि हरिराम मीना निवासी ग्राम पीलवानदी तहसील मलारना डूंगर एवं हरिराम पुत्र फैलू मीना निवासी ग्राम पीलवानदी तहसील मलारना डूंगर को आराजी खसरा नम्बर हाल 1118 रकबा 0.25 है० साबिक ख०नं० 711मि. वाके ग्राम पीलवानदी में आदेश दिनांक 26/05/2000 द्वारा आवंटन किया गया था। अप्रार्थी को आवंटितशुदा खसरा नम्बर 10362 रकबा 0.25 है० साबिक ख०नं० 1260/1 पर मौका रिपोर्ट दिनांक 04.08.2021 के अनुसार आवंटी का कब्जा नहीं होने व आवंटन शर्तों की पालना नहीं किये जाने के कारण आवंटन को निरस्त करने हेतु निवेदन किया गया।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जरिये नोटिस की गयी। अदालत मातहत से मूल पत्रावली प्राप्त। अप्रार्थीगण बावजूद तामील उपस्थित नहीं आने पर अप्रार्थीगण के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही की जाकर प्रार्थना पत्र पर परोकार सरकार की बहस सुनी गयी।

परोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित कर बहस में तर्क दिया कि अप्रार्थीगण को आवंटितशुदा भूमि ख०न० 1118 रकबा 0.25 है० साबिक ख०नं० 711 मि. पर मौका रिपोर्ट दिनांक 04.08.2021 के अनुसार आवंटियों का मौके पर कब्जा काश्त नहीं है। आज दिनांक तक जमाबन्दी में गैर खातेदार दर्ज है। पुनःश्च तर्क किया कि खसरा गिरदावरी सम्वत 2076 के अनुसार उक्त भूमि पड़त है जो कि आवंटन शर्तों का स्पष्ट




दर्ज
अति. जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

उल्लंघन है। अन्त में परोकार सरकार द्वारा आवंटन सलाहकार समिति द्वारा पारित आवंटन आदेश दिनांक 26.05.2000 को निरस्त करने हेतु निवेदन किया गया।

प्रकरण में परोकार राजस्व की बहस सुनी गयी एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन एवं अध्ययन किया गया। तहसीलदार मलारना डूंगर से प्राप्त प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया जिसके अनुसार आवंटी पागली पत्नि हरिराम मीना निवासी ग्राम पीलवानदी तहसील मलारना डूंगर एवं हरिराम पुत्र फैलू मीना निवासी ग्राम पीलवानदी तहसील मलारना डूंगर को आराजी खसरा नम्बर हाल 1118 रकबा 0.25 है० साबिक ख०नं० 711मि. वाके ग्राम पीलवानदी में आदेश दिनांक 26/05/2000 द्वारा आवंटित किया गया था। आवंटित शुदा भूमि का गैर खातेदारी का नामांतरण संख्या 718 दर्ज होकर दिनांक 30/12/2000 को स्वीकार हुआ। फर्द मौका रिपोर्ट के अनुसार गैर-खातेदार पागली पत्नि हरिराम मीना निवासी ग्राम पीलवानदी तहसील मलारना डूंगर एवं हरिराम पुत्र फैलू मीना निवासी ग्राम पीलवानदी का खसरा सं० हाल 1118 रकबा 0.25 है० साबिक ख०नं० 711मि. पर मौके पर कब्जा काशत नहीं है एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज खसरा गिरदावरी सम्बत 2076 के अनुसार भूमि मौके पर पड़त पड़ी हुई है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर आवंटी द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नहीं होना पाया गया है। अतः तहसीलदार मलारना डूंगर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 14(4) स्वीकार किया जाने योग्य पाया जाता है।

अतः अप्रार्थी द्वारा कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 की धारा 14 में वर्णित आवंटन शर्तों की पालना नहीं करने तथा अप्रार्थीगण का वर्तमान में आवंटित शुदा भूमि खसरा नम्बर हाल 1118 रकबा 0.25 है० साबिक ख०नं० 711मि. वाके ग्राम पीलवानदी पर कब्जा नहीं होने के कारण कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 की धारा 14(4) के अन्तर्गत आवंटन आदेश दिनांक 26/05/2000 को निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार मलारना डूंगर को आदेशित किया जाता है कि राजस्व ग्राम पीलवानदी के आराजी खसरा नम्बर हाल 1118 रकबा 0.25 है० साबिक ख०नं० 711मि. वाके ग्राम पीलवानदी को राजस्व अभिलेख में सिवायचक दर्ज करे।

निर्णय आज दिनांक 16.01.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(संजय शर्मा)

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर